

प्रेस विज्ञप्ति थाना चौरी चौरा गोरखपुर दिनांक 09.01.2023

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित शांति चोर गिरफ्तार

संगठित माफियाओं/अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल मार्गदर्शन व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा गोरखपुर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री जयन्त कुमार सिंह मय हमराहीगण द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 627/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त मनीष यादव पुत्र रामअधार यादव निवासी वार्ड नं0- 2 मुण्डेरा बाजार थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर को मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मनीष यादव पुत्र रामअधार यादव निवासी वार्ड नं0 2 मुण्डेरा बाजार थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 627/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 35/2022 धारा 379/411 भादवि0 थाना चौरी चौरा गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 38/2022 धारा 379/411 भादवि0 थाना चौरी चौरा गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 41/2022 धारा 41/411/413/414/419/420/473 भादवि0 थाना चौरी चौरा गोरखपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जयन्त कुमार सिंह थाना चौरी चौरा गोरखपुर।
2. आरक्षी अजय कुमार थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।
3. आरक्षी मनीष पाण्डेय थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।